प्रेस नोट 19.11.2020

25 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 03 गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.11.2020 को थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा गुलौरी के पास से विनोद पुत्र महेश, श्यामदेव पुत्र रामरूप निवासीगण खड़सरा थाना रसड़ा जनपद बलिया दोनों के कब्जे से क्रमशः10–5 लीटर तथा विजय गोड पुत्र स्व0 कैलाश निवासी होरों की मठिया थाना हलधरपुर मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.11.2020 को थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा सलाहाबाद चट्टी के पास से मु0अ0सं0 814/20 धारा 363,366,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अरविन्द पुत्र सुर्दशन निवासी अहिलाद थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 18 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा अंकुर गुप्ता, मनीष प्रजापति निवासीगण गोठा थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा ओमप्रकाश, दिपु, प्रिस निवासीगण बडागांव, रामअशीष निवासी पकड़ी बुजुर्ग, गोविन्द निवासी बडेगाव भरौटी थाना घोसी, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा राजेश, कमलेश निवासीगण लाडनपुर थाना कोपागंज, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा रामकरन, अखिलेश निवासी दुबारी धूस, धमेन्द्र निवासी गांगेवीर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा इन्द्रपाल, अनिल निवासीगण कबीरपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा मनोज, रामप्रवेश, सूरजन, रामविलास निवासीगण भूसूवा थाना रानीपुर मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

छत त्यौहार के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में निम्नखित तरह से रूट डायर्वजन रहेगा।

(1)– भारी वाहनों का रूट डायवर्जनः–

- ➢ गाजीपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन, जिनको आजमगढ़ की तरफ जाना हो, उन्हे बढ़ुआ गोदाम से पिपरीडीह की तरफ मोढ़ दिया जायेगा जो चिरैयाकोट होते हुए आजमगढ़ जायेंगे।
- ➢ आजमगढ की तरफ से आने वाले भारी वाहन, जिनको गाजीपुर की तरफ जाना हो, उन्हे मोहम्मदाबाद से ही चिरैयाकोट की तरफ मोढ़ दिया जायेगा जो चिरैयाकोट से गाजीपुर की तरफ जायेंगे तथा जिनको बलिया जाना होगा उन्हे मतलूपुर मोड़ से डायवर्ट किया जायेगा, जो डांडी मोड़, बलिया मोड़ होते हुए बलिया को जायेंगे।
- ➢ गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन, जिनको गाजीपुर–वाराणसी जाना हो, उन्हे डांडी मोड़ से मतलूपुर की तरफ मोढ़ दिया जायेगा जो मतलूपुर, मुहम्मदाबाद चिरैयाकोट होते हुए वाराणसी व गाजीपुर को जायेंगे।
- ➢ गाजीपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन, जिनको आजमगढ़ की तरफ जाना हो, उन्हे बढ़ुआ गोदाम से पिपरीडीह की तरफ मोढ़ दिया जायेगा जो चिरैयाकोट होते हुए आजमगढ़ जायेंगे।

(2)–छोटे वाहनों का रूट डायवर्जन(दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया):–

- ❖ कोई भी छोटा वाहन बाल निकेतन से भीटी की तरफ नही जायेगा। छोटे वाहनों को आजमगढ़ मोड़ की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
- ❖ ढेकुलिया मोड़ से कोई भी वाहन शहर के अन्दर प्रवेश नही करेगा।यहाँ पर बैरियर की व्यवस्था की जायेगी जिससे कोइ वाहन प्रवेश न कर सके।
- ❖ टीसीआई मोड़ की तरफ से कोई भी दो, चार पहिया वाहनों को ढेकुलिया घाअ की तरफ नही आने दिया जायेगा बल्कि उन्हे बन्धे की तरफ मोड़ दिया जयेगा।
- ❖ भीटी चौक से भीटी घाट तक कोई भी वाहन जाने नही दिया जायेगां। उक्त स्थान पर बैरियर नगाकर आवश्यक काय्रवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ❖ रेलवे क्रासिंग थाना कोतवाली से कोई भी वाहन ढेकुलियाघाट की तरफ जाने नही दिया जायेगा उन्हे मिर्जाहादीपुरा की तरफ मोड़ दिया जायेगा।
- ❖ ब्रह्मस्थान से भीटी की तरफ कोई भी वाहन नही आने दिया जायेगा बल्कि उन्हे वापस कर दिया जायेगा, जो गाजीपुर तिराहा होते हुेए अपने गन्तव्य को जायेंगे।

रुट डायवर्जन दिनांक 20.11.2020 को समय 1400 बजे से प्रभावी होगा जो रात्रि 2000 बजे तक चलेगा, उसी प्रकार दिनांक 21.11.2020 को प्रातः 0200 बजे से प्रातरू 0800 बजे तक चलेगा।